मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक: एफ 9-3/2017/नियम/चार भोपाल,दिनांक 17 फरवरी, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश ।

विषय- 1.1.2005 के बाद नियुक्त मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों को नवीन पेंशन योजना अंतर्गत दिये गये एरियर्स राशि का 10% प्रान खाते में जमा करने बाबत ।

—◆—

राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए दिनांक 01.01.2005 से लागू परिभाषित पेंशन योजना प्रणाली में अभिदाता तथा नियोक्ता के अंशदान जमा होते हैं ।

2/ राज्य शासन द्वारा विगत तिथि से वेतन मंहगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने पर देय एरियर राशि पर अंशदान कटोत्रा नहीं होना ध्यान में लाया गया है।

3/ अतः भारत सरकार की भांति राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है कि परिभाषित पेंशन योजना के अभिदाताओं को उपर्युक्त अनुसार देय एरियर्स राशि में से निर्धारित अंशदान का कटोत्रा किया जाकर अभिदाता के संबंधित खाते में जमा किया जाये ।

4/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनिरुद्ध मुकर्जी)
सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग